कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी–04 / 19 / 2019–20 दिनांक 28-01-20

जिला शिक्षा अधिकारी(मु.)
माध्यमिक शिक्षा, ...

विषय.– महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण बाबत शिविर के आयोजन के सम्बंध में।

संदर्भ.– शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांकः प. 6(9)शिक्षा–5 / 2010 पार्ट–II दिनांक 23.09.19 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.10.19 एवं 19.12.19 व शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी.–4 / 19 / 2019–20 दिनांक 20.12.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके व आपके अधीनस्थ कार्यालयो / विद्यालयों के महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेप काफी समय से बकाया चल रहे है, जिसकी अनुपालना समय पर प्राप्त न होने के कारण इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है जो अत्यंत खेद का विषय है, इसे उच्चाधिकारियों द्वारा गभीरता से लिया गया है। इस क्रम में पत्र क्रमांक शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी.–4 / 19 / 2019–20 दिनांक 20.12.19 द्वारा आयोजित कैम्प में आप अनुपस्थित रहें। अतः प्रस्तावित दिनांक को गत वर्षो के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु दिनांक 03.02.2020 से दिनांक 06.02.2020 तक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में कैम्प में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कैम्प का आयोजन निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

क्र.सं.	जिले का नाम	दिनांक
1	नागौर, करोली, श्री गंगानगर	03.02.2020
2	सीकर, बाड़मेर सिरोही	04.02.2020
3	कोटा, बारां, झालावाड़	05.02.2020
4	उदयपुर, डूंगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमन्द	06.02.2020

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों / विद्यालय के महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के बकाया प्रतिवेदनों के आक्षेप एवं महालेखाकार प्रतिवेदनों के विभाग स्तर पर बकाया आक्षेपों की ठोस, पूर्ण एवं साक्ष्य सहित अनुपालनाएं तैयार करवाकर **अपने कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी / संबंधित कार्मिक के साथ ही उक्त निर्धारित कैम्प दिनांक को उपस्थित होने के लिए पाबंद करावें।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी–04 / 19 / 2019–20 दिनांक 28-01-20

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक, निजी अनुभाग निदेशक महोदय कार्यालय हाजा
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग..................................को प्रेषित कर लेख है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की साक्ष्यों सहित एवं ठोस अनुपालना आयोजित उक्त कैम्प दिनांक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D/A.G. -4